बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–05/2017 303 पटना, दिनांकः 06/12/19

कार्यालय आदेश

मो० अबुल हुसैन, तत्कालीन अंचलाधिकारी, अररिया संप्रति प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के पत्रांक–3011/रा० दिनांक–24.12.2016 के आधार पर गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत निदेशालय के का०आं०सं०–133 सहपठित ज्ञापांक–828 दिनांक–05.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) अररिया को संचालन पदाधिकारी तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को नियुक्त किया गया।

मो० अबुल हुसैन के विरूद्ध निम्नांकित आरोप गठित किये गये हैं :–

1. (i) मौजा हड़िया थाना संख्या 196 खाता संख्या 388 खेसरा संख्या 1033 का अधिशेष रकबा जो बिहार सरकार के खाते में जोड़ना है। उक्त भूमि का सीमांकन कराने एवं अवैध तरीके से दर्ज कराये गये जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव भेजने हेतु कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 254/सी० दिनांक 21.03.2016 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया। पुनः कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1241/सी० दिनांक 26.10.2016 के द्वारा संपूर्ण भूमि का जमाबदी रद्द करने का प्रस्ताव भेजने हेतु स्मारित किया गया, जिसका अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया।

(ii) मौजा बंसतपुर अंतर्गत हरियाली मार्केट की भूमि पर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1242/सी० दिनांक 26.10.2016 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया, परन्तु अबतक आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

(iii) मौजा बसंतपुर अंतर्गत मीरा टॉकीज, अररिया के बगल में अवस्थित सरकारी आवासीय परिसर में अतिक्रमण कर बनाये गए झोपड़ी को हटाने हेतु कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1240/सी० दिनांक 26.10.2016 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया, परंतु आपके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

2. बाढ़ 2016 से प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने में आपके द्वारा लापरवाही बरतने एवं अनियमितता के कारण आपके विरूद्ध कई परिवाद पत्र प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत बेलवा के लोगों के द्वारा अररिया बहादुरगंज राजमार्ग को अवरूद्ध किया गया जिस कारण घंटों यातायात बाधित रहा।

3. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत दायर परिवाद पत्रों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं लेने के कारण परिवाद पत्रों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब हो रहा है एवं कई परिवाद पत्र में एक तरफा आदेश पारित हुआ।"

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच)अररिया के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त अपने पत्रांक–1902/रा० दिनांक–29.09.2018 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में सभी आरोपों की विवेचना, आरोपी कर्मी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में संचालन पदाधिकारी ने अंतिम विवेचन दिया है कि :–

(i) आरोपी कर्मी राजस्व कार्यो के निष्पादन में विलंब करने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने के दोषी हैं।

(ii) आरोपी कर्मी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम अन्तर्गत दायर परिवादों जैसे महत्वपूर्ण मामले में रूचि नहीं लेने तथा निर्धारित तिथियों को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के दोषी हैं परन्तु यह बात सही है कि वर्ष 2016 में आये बाढ़ में आरोपी कर्मी के राहत सहाय्य कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण राजस्व एवं अन्य कार्य प्रभावित हुए है।

(iii) आरोपी कर्मी अपने उच्चाधिकारी के आदेशों का ससमय अनुपालन नहीं करने के दोषी हैं,जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध है।

3. संचालन पदाधिकारी के उक्त प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित होता है, के प्रतिवेदन पर मो० अबुल हुसैन से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि :–

राजस्व कार्यो के निष्पादन में विलंब के संबंध में कहना है कि अमीन द्वारा सीमांकन निर्धारित करते हुए जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया से पुलिस बल की मॉग करने पर भी पुलिस बल मुहैया नहीं कराया गया जिसके कारण अतिक्रमित भूमि को खाली नहीं कराया जा सका ।

बाढ़ राहत राशि का वितरण एवं सूची के मिलान (पंचायतवार)आदि कार्यो में व्यस्त रहने के कारण लोक शिकायत निवारण संबंधी परिवाद लंबित रहे। अंचल अमीन के नहीं रहने के कारण नापी कार्य भी प्रभावित हुए।

वर्ष 2016 में अररिया अंचल में भंयकर बाढ़ आने से जुलाई, 16 से मार्च, 16 तक बाढ़ का दंश झेलना पड़ा । प्रदर्शन सड़क जाम एवं कार्यालय में आम जनताओं, जन प्रतिनिधियों के धेराव के कारण अंचल का कार्य प्रभावित रहा। इसमें लोक शिकायत निवारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हुए।

मो०अबुल हुसैन द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

मो०अबुल हुसैन से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1421 दिनांक–24.07.0219 द्वारा जिला पदाधिकारी, अररिया से जॉच

प्रतिवेदन पर मंतव्य की मॉग की गयी। जिला पदाधिकारी, अररिया ने अपने पत्रांक–903/स्था० दिनांक–09.10.2019 द्वारा मंतव्य दिया है कि " मो० अबुल हुसैन, तत्कालीन अंचलाधिकारी, अररिया संप्रति सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अभिलेख संख्या–01/18–19 में जॉचोपरान्त गठित आरोप पत्र एवं आरोप के विरूद्ध आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष एवं अंतिम विवेचन से सहमत हैं ।"

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो० अबुल हुसैन, तत्कालीन अंचलाधिकारी, अररिया संप्रति सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा पर संचयात्मक प्रभाव से 2 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो० अबुल हुसैन, तत्कालीन अंचलाधिकारी, अररिया संप्रति प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से 2 (दो) वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

राजेश्वर प्रसाद सिंह

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–05/2017 2268 पटना, दिनांकः 06/12/19

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष सचिव, राज़स्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–180(नि०को०/रा० दिनांक 27.02.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक–3011/रा० दिनांक–24.12.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, जिला बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. मो० अबुल हुसैन, प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 05/12

0099 स्था०1(का०आ०) (21 अक्टूबर 2019) अबुल हुसैन.